



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09092025-266022
CG-MH-E-09092025-266022

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2025/भाद्र 17, 1947

No. 617]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2025/BHADRA 17, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 8 सितम्बर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/265.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) एवं खंड (ग) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (1ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में,-

I. विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,

खंड (चक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(चक) “सह-निवेश” (को-इनवेस्टमेंट) का अर्थ है – प्रवर्ग-I या प्रवर्ग-II की ए.आई.एफ. [आनुकल्पिक निवेश निधि / ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड] के प्रबंधक (मैनेजर) या प्रायोजक (स्पॉन्सर) या निवेशक द्वारा उन इन्वेस्टी कंपनियों (ऐसी कंपनियाँ जिनमें निवेश किया जाए) की असूचीगत प्रतिभूतियों (अनलिस्टिड सिक्यूरिटीज) में किया गया निवेश, जिनमें ऐसी प्रवर्ग-I या प्रवर्ग-II की ए.आई.एफ. निवेश करती हो;”

i) खंड (चक) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(चख) “सह-निवेश स्कीम” (को-इनवेस्टमेंट स्कीम) का अर्थ है – प्रवर्ग-I या प्रवर्ग-II की ए.आई.एफ. की वह स्कीम, जिसके जरिए ए.आई.एफ. की किसी स्कीम विशेष के निवेशक उस इन्वेस्टी कंपनी की असूचीगत प्रतिभूतियों (अनलिस्टिड सिक्यूरिटीज) में निवेश कर पाएँ, जिसमें ए.आई.एफ. की स्कीम निवेश कर रही हो या कर चुकी हो;”

ii) खंड (द) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(दक) “शेल्फ प्लेसमेंट मैमोरेण्डम” का अर्थ है – ए.आई.एफ. द्वारा सह-निवेश स्कीमें (को-इनवेस्टमेंट स्कीमें) लाए जाने के संबंध में दाखिल किया गया प्लेसमेंट मैमोरेण्डम;”

iii) खंड (य) में, शब्द, चिह्न, अंक तथा अक्षर “अध्याय-III-क के तहत यथा परिभाषित एंजल निधि तथा” हट जाएँगे।

II. विनियम 3 में, उप-विनियम (4) में, खंड (क) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंकों “ “प्रवर्ग I आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधि” जो शुरूआती या आरंभिक अवस्था वाले उद्यमों या सामाजिक उद्यमों या एसएमई या अवसंरचना या अन्य सेक्टरों या क्षेत्रों जिन्हें सरकार या विनियामक सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से बांछनीय समझते हैं में विनिधान (निवेश) करती है और जिसमें जोखिम पूँजी निधियाँ, एसएमई निधियाँ, सोशल इम्पैक्ट फंड, अवसंरचना निधियाँ, विशेष परिस्थिति वाली निधियाँ और ऐसी अन्य आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ जो विनिर्दिष्ट की जायें सम्मिलित होंगी” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “ “प्रवर्ग-I की वह ए.आई.एफ.”, जो सरकार या विनियामकों (रेग्यूलेटर्स) द्वारा सामाजिक या आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले स्टार्टअप (शुरूआती कंपनियों) या नए उद्यमों (वेंचर) [जो आरंभिक अवस्था में हों] या सामाजिक उद्यमों (सोशल वेंचर) या एसएमई या बुनियादी ढाँचे (अवसंरचना / इन्फ्रास्ट्रक्चर) या दूसरे सेक्टरों या क्षेत्रों में निवेश करती हो, और जिसमें शामिल होंगे - वेंचर कैपिटल फंड (जोखिम पूँजी निधियाँ), एसएमई फंड, एंजल फंड, सोशल इम्पैक्ट फंड, इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (अवसंरचना निधियाँ), विशेष परिस्थिति वाले फंड (विशेष परिस्थिति वाली निधियाँ) और यथा निर्धारित दूसरी ए.आई.एफ.” आ जाएँगे।

III. विनियम 15 के उप-विनियम (1) में, खंड (ख) हट जाएगा।

IV. विनियम 17 के बाद और विनियम 18 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“प्रवर्ग-I और प्रवर्ग-II की ए.आई.एफ. द्वारा सह-निवेश (को-इनवेस्टमेंट) किए जाने से संबंधित शर्तें

17क. (1) प्रवर्ग-I या प्रवर्ग-II की ए.आई.एफ. के निवेशकों द्वारा सह-निवेश (को-इनवेस्टमेंट), इन विनियमों के तहत लाई गई सह-निवेश (को-इनवेस्टमेंट) स्कीम के जरिए या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 [सेबी (पोर्टफोलियो मैनेजर्स) रेग्यूलेशन, 2020] के तहत यथा निर्धारित सह-निवेश पोर्टफोलियो प्रबंधक के जरिए किया जाएगा।

(2) प्रवर्ग-I या प्रवर्ग-II की ए.आई.एफ. के निवेशकों को, सह-निवेश स्कीम के जरिए, सह-निवेश का अवसर प्रदान करने से पहले, एक शेल्फ प्लेसमेंट मैमोरेण्डम मर्चेन्ट बैंकर के माध्यम से बोर्ड के पास उसी प्रकार दाखिल किया जाएगा जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए, और वह शेल्फ प्लेसमेंट मैमोरेण्डम दाखिल करते समय फीस की वह रकम भी अदा की जाएगी जिसका जिक्र इन विनियमों की दूसरी अनुसूची में किया गया है।

(3) बोर्ड के पास दाखिल किए गए शेल्फ प्लेसमेंट मैमोरेण्डम के अनुसार, प्रत्येक सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) के लिए अलग-अलग सह-निवेश स्कीम लाई जाएगी:

परंतु यह कि कोई एंजल फंड (निधि) सह-निवेश स्कीम नहीं लाएगा।

(4) केवल प्रवर्ग-I या प्रवर्ग-II की ए.आई.एफ. के अक्रेडिटिड निवेशक ही सह-निवेश स्कीम में निवेश करने के लिए पात्र होंगे।

(5) प्रत्येक सह-निवेश स्कीम केवल एक इन्वेस्टी कंपनी में ही निवेश करेगी।

(6) सह-निवेश स्कीम ए.आई.एफ. की यूनिटों में निवेश नहीं करेगी।

(7) किसी सह-निवेश स्कीम के जरिए सह-निवेश उसी प्रकार किया जाएगा जैसा बोर्ड समय-समय पर बताए, और उन्हीं शर्तों के तहत किया जाएगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ।

(8) प्रबंधक या प्रायोजक (स्पॉन्सर) या सह-निवेशक या किसी सह-निवेश स्कीम द्वारा किसी इन्वेस्टी कंपनी में किए जाने वाले सह-निवेश से संबंधित शर्तें आदि, ए.आई.एफ. के निवेश की शर्तों आदि की तुलना में ज्यादा हितकर नहीं होंगी:

परंतु यह कि जब ए.आई.एफ. की स्कीम किसी इन्वेस्टी कंपनी में किया गया निवेश बेचे, तो उसी समय उस इन्वेस्टी कंपनी में किया गया सह-निवेश भी बेच दिया जाएगा।

(9) सह-निवेश बेचने के बाद सह-निवेश स्कीम इन विनियमों के अनुसार वाइंड अप कर दी जाएगी।

(10) विनियम 10 के खंड (ख) एवं (घ), विनियम 11 के उप-विनियम (2), विनियम 12 के उप-विनियम (2), (3), (4) एवं (5), विनियम 13, विनियम 15 के उप-विनियम (1) के खंड (क), (ग), (घक), (छ) एवं (ज), विनियम 16 और विनियम 17 के प्रावधान ए.आई.एफ. की सह-निवेश स्कीम के मामले में लागू नहीं होंगे।”

V. विनियम 19क में,

i) उप-विनियम (1) में,

क) शब्दों, अंक तथा चिह्नों “से प्रवर्ग I – आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधि के अधीन जोखिम पूँजी निधि का उप-प्रवर्ग अभिप्रेत है” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “का अर्थ है - प्रवर्ग-I की ए.आई.एफ. का वह उप-प्रवर्ग,” आ जाएँगे;

ख) शब्दों तथा चिह्नों “जो एंजल विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) से निधियाँ जुटाता है और इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार विनिधान (निवेश) करता है” के स्थान पर शब्द “जो अक्रेडिटिड निवेशकों से पैसा (फंड) जुटाता है और इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार निवेश करता है” आ जाएँगे;

ii) उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(2) “एंजल निवेशक” का अर्थ है - वह अक्रेडिटिड निवेशक, या एंजल फंड के प्रबंध-मंडल का वह मुख्य व्यक्ति (की मैनेजमेंट पर्सोनल) या उसका वह प्रबंधक, जो एंजल फंड में निवेश करता हो।”

iii) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(3) “संबंधित पक्ष” (“संबद्ध पक्षकार” / रिलेटेड पार्टी) का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (यख) में इसके लिए दिया हुआ है।”

VI. विनियम 19ख में,

- i) उप-विनियम (1) में, शब्दों तथा चिह्नों “इस अध्याय के उपबंध एंजल निधियों और ऐसी एंजल निधियों द्वारा आरंभ की गयी स्कीमों पर लागू होंगे।” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “इस अध्याय के प्रावधान एंजल फंडों और उनके प्रबंधकों (मैनेजर), प्रायोजकों (स्पांसर), एंजल निवेशकों और एंजल फंडों के निवेशों के मामले में लागू होंगे:” आ जाएँगे;
- ii) उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
 “परंतु यह कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 के प्रावधान उन एंजल फंडों के मामले में लागू होंगे जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 के अधिसूचित होने से पहले रजिस्टर हों, और ये प्रावधान उनके मामले में उसी प्रकार लागू होंगे जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।”
- iii) उप-विनियम (2) में,
 - क) शब्दों, अंकों, चिह्नों तथा अक्षरों “विनियम 15 के उप-विनियम (1) के खंड (क), (ग)” के बाद चिह्न तथा अक्षर “, (घक)” जोड़े जाएँगे;
 - ख) शब्दों, अंकों, चिह्नों तथा अक्षर “विनियम 16 के उप-विनियम (1) के खंड (ख)” के स्थान पर शब्द, अंक, चिह्न तथा अक्षर “विनियम 16 के उप-विनियम (1) के खंड (क)” आ जाएँगे;
 - ग) शब्दों, अंकों तथा चिह्नों “विनियम 16 के उप-विनियम (2),” के बाद शब्द, अंक तथा चिह्न “विनियम 17, विनियम 18,” जोड़े जाएँगे।
- iv) उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
 “स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, ए.आई.एफ. की किसी स्कीम के मामले में लागू प्रावधान एंजल फंड के मामले में (फंड के स्तर पर) तब तक लागू रहेंगे, जब तक खास तौर पर कुछ और जिक्र न कर दिया जाए।”

VII. विनियम 19ग में, उप-विनियम (2) हट जाएगा।

VIII. विनियम 19घ में,

- i) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-
 “(1) एंजल फंड यूनितें जारी करके केवल अक्रेडिटिड निवेशकों से ही पैसा जुटाएंगे और उसी प्रकार जुटाएंगे, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए:
 परंतु यह कि एंजल फंड के प्रबंध-मंडल का मुख्य व्यक्ति (की मैनेजमेंट पर्सोनल) या उसका प्रबंधक एंजल फंड में निवेश कर सकेगा।”
- ii) उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-
 “(2) कोई एंजल निवेशक किसी एंजल फंड में कितनी भी रकम का निवेश कर सकेगा।”
- iii) उप-विनियम (3) हट जाएगा और मौजूदा उप-विनियम (4) अब उप-विनियम (3) बन जाएगा।
- iv) इस प्रकार बने उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित नए उप-विनियम जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-
 “(4) ऐसा प्लेसमेंट मैमोरेण्डम बोर्ड के पास मर्चेट बैंकर के जरिए निर्धारित फॉर्मेट में, एंजल फंड के तौर पर रजिस्टर होने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय, दाखिल किया जाएगा
 (5) बोर्ड मर्चेट बैंकर को अपनी टिप्पणियों (यदि कोई हों) से अवगत करा सकेगा, और मर्चेट बैंकर यह सुनिश्चित करेगा कि एंजल फंड द्वारा पैसा जुटाने का निवेदन करने हेतु एंजल निवेशकों को प्लेसमेंट मैमोरेण्डम जारी किए जाने से पहले ही प्लेसमेंट मैमोरेण्डम में उन टिप्पणियों के अनुसार जरूरी बदलाव आदि कर लिए जाएँ।”

(6) एंजल फंड अपना फंड पहली बार बंद करने की घोषणा करने (उसी प्रकार जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए) से पहले कम से कम पाँच अक्रेडिटिड निवेशकों से निवेश की रकम जुटाएगा।

(7) यदि एंजल फंड बताए गए तरीके से अपना फंड पहली बार बंद करने की घोषणा न कर पाए, तो ऐसे में उसे प्लेसमेंट मैमोरेण्डम बोर्ड के पास फिर से दाखिल करना होगा और साथ ही दूसरी अनुसूची के अनुसार जरूरी फीस भी अदा करनी होगी, तभी जाकर वह एंजल निवेशकों को प्लेसमेंट मैमोरेण्डम जारी करेगा तथा उनसे पैसा जुटाने का निवेदन करेगा।”

I. विनियम 19ड के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“19ड. एंजल फंड एंजल निवेशकों से पैसा जुटाने का निवेदन करने या उनसे निवेश करने को कहने के लिए कोई स्कीम नहीं लाएगा।”

II. विनियम 19च में,

i) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(1) एंजल फंड केवल उन्हीं स्टार्टअप (शुरूआती कंपनियों) में निवेश करेंगे, जो ऐसे किसी कारपोरेट ग्रुप (समूह) द्वारा संप्रवर्तित (प्रमोटेड) या प्रयोजित (स्पॉन्सर्ड) या से संबंधित न हों, जिसके ग्रुप का टर्नओवर (व्यापारावर्त) तीन सौ करोड़ रुपये से ज्यादा का हो:

परंतु यह कि एंजल फंडों ने जिन इन्वेस्टी कंपनियों [जो अब स्टार्टअप (शुरूआती कंपनियाँ) न रह गई हों] में पहले से निवेश किया हुआ हो, उनमें वे और निवेश कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों का पालन करना होगा।

स्पष्टीकरण-I: इस खंड के प्रयोजनार्थ, “कारपोरेट ग्रुप (समूह)” में शामिल होगा – उन कंपनियों (बॉडी कारपोरेट) का ग्रुप (समूह) जिनके संप्रवर्तक (प्रमोटर) / संप्रवर्तक समूह (प्रमोटर ग्रुप) एक ही हों, कोई मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियाँ (सब्सिडियरी), उन कंपनियों (बॉडी कारपोरेट) का ग्रुप (समूह) जिनका नियंत्रण एक ही व्यक्ति / व्यक्तियों के समूह के हाथों में हो, और कंपनियों (बॉडी कारपोरेट) का वह ग्रुप (समूह) जिसमें उसकी सहयोगी कंपनियाँ (असोसिएट) / सहायक कंपनियाँ (सब्सिडियरी) / नियंत्री (धारिता) कंपनियाँ शामिल हों।

स्पष्टीकरण-II: इस खंड के प्रयोजनार्थ, “ग्रुप के टर्नओवर” का अर्थ होगा - कारपोरेट ग्रुप (समूह) को हुई कुल समेकित आमदनी।”

ii) उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(2) एंजल फंड किसी इन्वेस्टी कंपनी में दस लाख रुपये से कम का और पच्चीस करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश न करे।”

iii) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(3) एंजल फंड द्वारा इन्वेस्टी कंपनी में किया गया निवेश उतनी अवधि तक लॉक-इन रहेगा, जितनी बोर्ड द्वारा बताई जाए।”

iv) उप-विनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(5) इन्वेस्टी कंपनी में एंजल फंड (निधि) द्वारा किए गए प्रत्येक निवेश में कम से कम दो अक्रेडिटिड निवेशकों ने निवेश अवश्य किया हो।”

v) उप-विनियम (6) अब उप-विनियम (7) बन जाएगा, और इस प्रकार बने उप-विनियम (7) से पहले निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(6) एंजल फंड किसी इन्वेस्टी कंपनी में निवेश करने के लिए उन एंजल निवेशकों से निवेश स्वीकार नहीं करेंगे, जिनका उस इन्वेस्टी कंपनी से कोई सरोकार हो (जो उस इन्वेस्टी कंपनी की रिलेटेड पार्टी हों)।”

III. विनियम 19छ में,

- i) उप-विनियम (1) हट जाएगा, और मौजूदा उप-विनियम (2) तथा उप-विनियम (3) अब उप-विनियम (1) तथा उप-विनियम (2) बन जाएँगे।
- ii) इस प्रकार बने उप-विनियम (1) में,
 - क) शब्दों तथा चिह्नों “प्रबंधक या प्रायोजक का एंजल निधि में सतत् हित कार्पस के कम से कम ढाई प्रतिशत या पचास लाख रुपये, जो भी कमतर हो, का होगा,” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “प्रबंधक (मैनेजर) या प्रायोजक (स्पॉन्सर) को एंजल फंड द्वारा किए गए प्रत्येक निवेश में कम से कम निवेश की गई रकम का आधा प्रतिशत या पचास हजार रुपये (जो भी अधिक हो) के बराबर का निवेश करके रखना होगा,” आ जाएँगे;
 - ख) शब्दों तथा चिह्नों “और ऐसा हित प्रबंधन फीस के अधित्यजन के माध्यम से नहीं होगा” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “और यह पैसा प्रबंधन फीस (मैनेजमेंट फीस) के नाम पर नहीं जुटाया जाएगा” आ जाएँगे।
- iii) इस प्रकार बने उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(2) प्रबंधक इन्वेस्टी कंपनी में निवेश करने के लिए किसी एंजल निवेशक का निवेश केवल तभी स्वीकार करेगा, जब ऐसा निवेश किए जाने के संबंध में एंजल निवेशक की मंजूरी मिल जाए।”
- iv) इस प्रकार बने उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित नए उप-विनियम जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

“(3) प्रबंधक एंजल फंड के सभी एंजल निवेशकों को निवेश के हर एक अवसर के बारे में बताएगा और उन्हें निवेश करने की पेशकश करेगा।

(4) प्रबंधक एंजल फंड के प्लेसमेंट मैमोरेण्डम में उसी प्रकार यह बताएगा कि ऐसे निवेश के संबंध में मंजूरी प्रदान करने वाले एंजल निवेशकों के बीच निवेश का आबंटन करने के लिए क्या पद्धति अपनाई जाएगी, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

(5) प्रबंधक किसी इन्वेस्टी कंपनी में निवेश करने के लिए, एंजल फंड के प्लेसमेंट मैमोरेण्डम में बताई गई पद्धति के अनुसार, उन्हीं एंजल निवेशकों का निवेश स्वीकार करेगा जो निवेश करने की मंजूरी दे दें।

(6) एंजल फंड द्वारा किए गए निवेश में और निवेश से आए पैसों आदि (प्रोसीड्स) में एंजल फंड के निवेशकों का हिस्सा उसी हिसाब से बनेगा, जितना उन्होंने निवेश किया हुआ हो, हालाँकि उन मामलों में नहीं जिनके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर कुछ और बताया जाए।

(7) यदि एंजल फंड किसी मौजूदा इन्वेस्टी कंपनी या किसी मौजूदा इन्वेस्टी कंपनी के संबंधित पक्ष (संबद्ध पक्ष / रिलेटेड पार्टी) में निवेश करने की पेशकश करे, तो उसकी जानकारी ऐसा निवेश किए जाने के संबंध में एंजल निवेशकों से मंजूरी लेते समय उन्हें देनी होगी।”

IV. विनियम 20 में, उप-विनियम (15) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(15) प्रबंधक उन इन्वेस्टी कंपनियों की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने के संबंध में सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) स्कीम के निवेशकों या सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक [जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में जिक्र किया गया है] के ग्राहकों को छोड़कर किसी निवेशक को सलाहकार (एडवाइज़री) सेवाएँ प्रदान नहीं करेगा, जिनमें वह ए.आई.एफ निवेश करती हो जिसका प्रबंधन उसके द्वारा किया जाता हो।”

V. पहली अनुसूची में, प्ररूप क में, खंड (1) में, उप-खंड (ड) में, अंकों, चिह्नों तथा शब्दों “1. प्रवर्ग I की आनुकल्पिक निवेश निधि – जोखिम पूँजी निधि (वेंचर कैपिटल फंड)” के बाद, अंक, अक्षर, चिह्न तथा शब्द “1क. प्रवर्ग-I की ए.आई.एफ. (आनुकल्पिक निवेश निधि) – एंजल फंड” जोड़े जाएँगे।

VI. दूसरी अनुसूची में,

- i) शब्दों, अंकों तथा चिह्नों “विनियम 3 का उप-विनियम (5), विनियम 6 का उप-विनियम (2) और विनियम 12 का उप-विनियम (2) देखें” के स्थान पर शब्द, अंक तथा चिह्न “विनियम 3 का उप-विनियम (5), विनियम 6 का उप-विनियम (2), विनियम 12 का उप-विनियम (2) और विनियम 17क का उप-विनियम (2) देखें” आ जाएँगे।
- ii) भाग-क में,
 - क) शब्दों तथा चिह्नों “एंजल निधियों से भिन्न आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियों” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ए.आई.एफ. (आनुकल्पिक निवेश निधियों)” आ जाएँगे।
 - ख) शब्दों, चिह्नों तथा अंक “ए.आई.एफ. (आनुकल्पिक निवेश निधियों) के लिए स्कीम फीस - ₹1,00,000” के बाद शब्द, चिह्न तथा अंक “सह-निवेश स्कीमें (को-इन्वेस्टमेंट स्कीम) लाए जाने के संबंध में शेल्फ प्लेसमेंट मैमोरेण्डम दाखिल करने हेतु फीस - ₹1,00,000” जोड़े जाएँगे।
 - ग) शब्दों, चिह्नों तथा अंक “एंजल निधियों के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस - ₹2,00,000” के बाद, शब्द, चिह्न तथा अंक “इन विनियमों के विनियम 19घ(7) के तहत एंजल फंड का प्लेसमेंट मैमोरेण्डम दोबारा दाखिल करने हेतु फीस - ₹1,00,000” जोड़े जाएँगे।

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./350/2025-26]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, द्वारा 21 मई 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 तत्पश्चात्,-
 - (क) 16 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/24/6573, द्वारा
 - (ख) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
 - (ग) 26 सितम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/11/1576, द्वारा
 - (घ) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/011, द्वारा
 - (ङ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/026, द्वारा
 - (च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा
 - (छ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/19, द्वारा

- (ज) 10 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/16, द्वारा
- (झ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- (ञ) 19 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/37, द्वारा
- (ट) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/01, द्वारा
- (ठ) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/21, द्वारा
- (ड) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- (ढ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/33, द्वारा
- (ण) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/41, द्वारा
- (त) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/57, द्वारा
- (थ) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/68, द्वारा
- (द) 16 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/75, द्वारा
- (ध) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/89, द्वारा
- (न) 15 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/105, द्वारा
- (प) 9 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/113, द्वारा
- (फ) 18 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/115, द्वारा
- (ब) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा
- (भ) 15 जून, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/132, द्वारा
- (म) 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/137, द्वारा
- (य) 17 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/146, द्वारा
- (कक) 5 जनवरी, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/163, द्वारा

- (खख) 25 अप्रैल, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/168, द्वारा
- (गग) 18 जुलाई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/194, द्वारा
- (घघ) 6 अगस्त, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/198, द्वारा
- (ङङ) 18 नवम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (पाँचवा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/209, द्वारा
- (चच) 10 फरवरी, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेशक चार्टर) (संशोधन) विनियम, 2025, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/228, द्वारा
- (छछ) 23 मई, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2025, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/248, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th September, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/265.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of Section 11 and sub-section (1) and (1B) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, namely, –

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:
3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, –
 - I. In sub-regulation (1) of regulation 2,
 - i) clause (fa) shall be substituted with the following, namely, –

“(fa) “Co-investment” means investment made by a Manager or Sponsor or investor of a Category I or II Alternative Investment Fund in unlisted securities of investee companies where such a Category I or Category II Alternative Investment Fund makes investment;”
 - ii) after clause (fa), the following clause shall be inserted, namely, –

“(fb) “Co-investment scheme” means a scheme of a Category I or Category II Alternative Investment Fund, which facilitates co-investment to investors of a particular scheme of an

Alternative Investment Fund, in unlisted securities of an investee company where the scheme of the Alternative Investment Fund is making investment or has invested;”

iii) after clause (r), the following clause shall be inserted, namely, –

“(ra) “Shelf placement memorandum” means a placement memorandum filed by an Alternative Investment Fund for launching co-investment schemes;”

iv) in clause (z), the words and symbols “an angel fund as defined under Chapter III-A and” shall be substituted with the word “a”.

- II. In regulation 3, in sub-regulation (4), in clause (a), after the words and symbols “SME Funds,” the words and symbols “angel funds,” shall be inserted.
- III. In sub-regulation (1) of regulation 15, clause (b) shall be omitted.
- IV. After regulation 17 and before regulation 18, the following regulation shall be inserted, namely, –

“Conditions for co-investment by Category I and II Alternative Investment Funds.

17A. (1) Co-investment by investors of Category I or Category II Alternative Investment Fund shall be through a co-investment scheme launched under these regulations or through a Co-investment Portfolio Manager as specified under the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020.

(2) A shelf placement memorandum shall be filed with the Board, in the manner as may be specified by the Board from time to time, through a merchant banker along with the fee as specified in Second Schedule to these regulations, prior to the co-investment opportunity being offered to the investors of Category I or Category II Alternative Investment Fund, through co-investment scheme.

(3) A separate co-investment scheme shall be launched for each co-investment, in accordance with the shelf placement memorandum filed with the Board:
Provided that an Angel fund shall not launch a co-investment scheme.

(4) Only accredited investors of the Category I or Category II Alternative Investment Fund shall be eligible to invest in a co-investment scheme.

(5) Each co-investment scheme shall invest in only one investee company.

(6) A co-investment scheme shall not invest in units of Alternative Investment Funds.

(7) Co-investment through a co-investment scheme shall be carried out in the manner and subject to the conditions as may be specified by the Board from time to time.

(8) The terms of co-investment in an investee company by a Manager or Sponsor or Co-investor or a co-investment scheme, shall not be more favourable than the terms of investment of the Alternative Investment Fund:

Provided that the timing of exit from the co-investment in an investee company shall be identical to the exit of the scheme of the Alternative Investment Fund from the investment in the investee company.

(9) The co-investment scheme shall be wound up on exit from the co-investment in terms of these regulations.

(10) The requirements under clauses (b) and (d) of regulation 10, sub-regulation (2) of regulation 11, sub-regulations (2), (3), (4) and (5) of regulation 12, regulation 13, clauses (a), (c), (da), (g) and (h) of sub-regulation (1) of regulation 15, regulation 16 and regulation 17 shall not apply to a co-investment scheme of an Alternative Investment Fund.”

V. In regulation 19A,

- i) in sub-regulation (1),
 - a) the words and symbols “Venture Capital Fund under” shall be omitted;
 - b) the words “angel investors” shall be substituted with words “accredited investors”;
- ii) sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely, -
“(2) “angel investor” means an accredited investor, or key management personnel of an angel fund or its manager, who invests in an angel fund.”
- iii) sub-regulation (3) shall be substituted with the following, namely, -
“(3) “related party” shall have the same meaning as assigned to it under clause (zb) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.”

VI. In regulation 19B,

- i) in sub-regulation (1), the words and symbols “schemes launched by such angel funds.” shall be substituted with “their managers, sponsors, angel investors and investments of angel funds.”.
- ii) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely –
“Provided that the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2025 shall apply to angel funds registered prior to the notification of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2025, in the manner as may be specified by the Board.”
- iii) in sub-regulation (2),
 - a) after the words and symbols “regulation 14, clauses (a), (c)”, the words and symbols “,(da)” shall be inserted;
 - b) the words and symbols “clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 16” shall be substituted with “clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 16”;
 - c) after the words and symbols “sub-regulation (2) of regulation 16,”, the words and symbols “regulation 17, regulation 18,” shall be inserted.
- iv) after sub-regulation (2), the following Explanation shall be inserted, namely, –
“Explanation: For the purpose of this sub-regulation, the provisions which are applicable to a scheme of an alternative investment fund, shall be applicable to the angel fund at the fund level, unless specifically stated otherwise.”

VII. In regulation 19C, sub-regulation (2) shall be omitted.

VIII. In regulation 19D,

- i) sub-regulation (1) shall be substituted with the following, namely, –

“(1) Angel funds shall raise funds only from accredited investors by way of issue of units, in the manner as may be specified by the Board from time to time:

Provided that the key management personnel of an angel fund or its manager may invest in the angel fund.”

- ii) sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely, –

“(2) No minimum value of investment shall be applicable for investment in an angel fund by an angel investor.”

- iii) sub-regulation (3) shall be omitted and the existing sub-regulation (4) shall be re-numbered as sub-regulation (3).

- iv) after sub-regulation (3) so re-numbered, the following new sub-regulations shall be inserted, namely, -

“(4) Such placement memorandum shall be filed with the Board in the specified format through a merchant banker while filing the application for registration as an angel fund.

(5) The Board may communicate its comments, if any, to the merchant banker and the merchant banker shall ensure that the comments are incorporated in the placement memorandum prior to its circulation to angel investors by the angel fund for soliciting funds.

(6) An angel fund shall on-board at least five accredited investors before declaring its first close in the manner as may be specified by the Board from time to time.

(7) If the angel fund fails to declare the first close of the fund in the specified manner, it shall be required to refile the placement memorandum with the Board for circulation and soliciting funds from angel investors, by paying the requisite fee under the Second Schedule.”.

- IX. Regulation 19E shall be substituted with the following, namely, –

“19E. An angel fund shall not launch any schemes for soliciting funds from angel investors or making any investments.”.

- X. In regulation 19F,

- i) sub-regulation (1) shall be substituted with the following, namely, –

“(1) Angel funds shall invest only in startups, which are not promoted or sponsored by or related to a corporate group whose group turnover exceeds three hundred crore rupees:

Provided that angel funds may make additional investments in their existing investee companies, which are no longer start-ups, subject to the conditions as may be specified by the Board from time to time.

Explanation I: For the purpose of this clause, "corporate group" shall include a group of body corporates with the same promoter(s)/promoter group, a parent company and its subsidiaries, a group of body corporates in which the same person/ group of persons exercise control, and a group of body corporates consisting of associates/ subsidiaries/ holding companies.

Explanation II: For the purpose of this clause, "group turnover" shall mean combined total revenue of the corporate group."

- ii) sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely, –

"(2) Investment made by an angel fund in any investee company shall not be less than ten lakh rupees and shall not exceed twenty five crores rupees."

- iii) sub-regulation (3) shall be substituted with the following, namely, –

"(3) Investment by an angel fund in an investee company shall be subject to lock-in period as may be specified by the Board."

- iv) sub-regulation (5) shall be substituted with the following, namely, –

"(5) Each investment of an angel fund in an investee company shall have contribution from at least two accredited investors."

- v) sub-regulation (6) shall be re-numbered as sub-regulation (7) and before sub-regulation (7) so re-numbered, the following sub-regulation shall be inserted, namely, –

"(6) Angel funds shall not accept contribution for investment in an investee company, from those angel investors who are a related party to such investee company."

XI. In regulation 19G,

- i) sub-regulation (1) shall be omitted and the existing sub-regulation (2) and (3) shall be re-numbered as sub-regulation (1) and (2).

- ii) in the re-numbered sub-regulation (1),

a) after the words "continuing interest in" and before the words "the angel fund", the words "each investment of" shall be inserted;

b) the words and symbols "two and half percent of the corpus or fifty thousand rupees, whichever is lesser," shall be substituted with "half percent of the amount invested or fifty thousand rupees, whichever is higher,".

- iii) the re-numbered sub-regulation (2) shall be substituted with the following namely, –

"(2) The manager shall accept contribution from an angel investor for investing in an investee company only after obtaining approval from the angel investor for such investment."

- iv) after sub-regulation (2) so re-numbered, the following new sub-regulations shall be inserted, namely, –

"(3) The manager shall disclose and offer each investment opportunity to all the angel investors of the angel fund.

(4) The manager shall disclose a defined methodology in the placement memorandum of the angel fund, for the purpose of allocating the investment among angel investors who provide approval for such investment, in the manner as may be specified by the Board from time to time.

(5) The manager shall accept contributions for investment in an investee company from the angel investors who provide approval for the investment, in accordance with the methodology disclosed in the placement memorandum of the angel fund.

(6) The investors of an angel fund shall have rights in an investment of the angel fund and in the distribution of proceeds of the investment, pro-rata to their contribution to such investment, except in the cases as may be specified by the Board from time to time.

(7) In case an angel fund offers an opportunity for investment in an existing investee company or related party of an existing investee company, the same shall be disclosed to the angel investors at the time of seeking their approval for making such investment.”.

XII. In regulation 20, sub-regulation (15) shall be substituted with the following, namely, –

“(15) The Manager shall not provide advisory services to any investor other than the investors of a co-investment scheme or clients of a Co-investment Portfolio Manager as specified in the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, for investment in securities of investee companies where the Alternative Investment Fund managed by it makes investment.”

XIII. In the First Schedule, in Form A, in clause 1, in sub-clause (e), after the words and symbol “1. Category I Alternative Investment Fund- Venture Capital Fund”, the words and symbols “1A. Category I Alternative Investment Fund- Angel Fund” shall be inserted.

XIV. In the Second Schedule,

- i) the words and symbols “sub-regulation (5) of regulation 3, sub-regulation (2) of regulation 6 and sub-regulation (2) of regulation 12” shall be substituted with “sub-regulation (5) of regulation 3, sub-regulation (2) of regulation 6, sub-regulation (2) of regulation 12 and sub-regulation (2) of regulation 17A”.
- ii) in Part A,
 - a) after the words “Scheme Fee for Alternative Investment Funds”, the words “other than Angel Funds” shall be omitted;
 - b) after the words and symbols “Scheme Fee for Alternative Investment Funds - ₹1,00,000”, the words and symbols “Fee for filing shelf placement memorandum for launching Co-investment schemes - ₹1,00,000” shall be inserted.
 - c) after the words and symbols “Registration Fee for Angel Funds - ₹2,00,000”, the words and symbols “Fee for refiling placement memorandum of Angel Fund under regulation 19D(7) of these regulations- ₹1,00,000” shall be inserted.

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./350/2025-26]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on May 21, 2012 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
2. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were subsequently amended on, –
 - (a) 16th September, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/24/6573.

- (b) 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
- (c) 26th September, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/11/1576.
- (d) 14th August, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/011.
- (e) 4th January, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/026.
- (f) 6th March, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037.
- (g) 1st June, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2018/19.
- (h) 10th May, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2019/16.
- (i) 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- (j) 19th October, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2020/37.
- (k) 8th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2021/01.
- (l) 5th May, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/21.
- (m) 3rd August, 2021 by the (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- (n) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/33.
- (o) 13th August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/41.
- (p) 9th November, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/57.
- (q) 24th January, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/68.
- (r) 16th March, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/75.
- (s) 25th July, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/89.
- (t) 15th November 2022, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/105.
- (u) 9th January 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/113.
- (v) 18th January 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115.
- (w) 7th February 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.
- (x) 15th June 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/132.
- (y) 3rd July 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.
- (z) 17th August 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.

- (aa) 5th January 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/163.
- (bb) 25th April 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/168.
- (cc) 18th July, 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/194.
- (dd) 6th August, 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/198.
- (ee) 18th November, 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/209.
- (ff) 10th February, 2025, by the Securities and Exchange Board of India (Investor Charter) (Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/228.
- (gg) 23rd May, 2025, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/248.